कार्यकारी-सार

इस प्रतिवेदन में ₹ 125.11 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 68 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 90.71 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को मान लिया था और ₹ 27.44 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

अध्याय I: राजस्व विभाग – केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व. 14 के दौरान कमी देखी गई और यह वि.व. 13 से ₹ 6,390 करोड़ कम हो गया।

(पैराग्राफ 1.5)

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूटों के कारण छोड़ा गया राजस्व ₹ 1,95,679 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 17,999 करोड़) था जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का 115 प्रतिशत है।

(पैराग्राफ 1.11)

- वसूली हेतु बकाया वि.व. 13 में ₹ 45,463 करोड़ से बढ़कर वि.व. 14 में ₹ 53,309 करोड़ हो गया जबकि संग्रहण वि.व. 13 में ₹ 1,560 करोड़ से बहुत ज्यादा घटकर वि.व. 14 में ₹ 1,178 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 1.13)

अध्याय II: लौह एवं इस्पात उत्पादों और इनकी वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- दिनांक 7 फरवरी 2012 के अंतिम आदेश के विभाग के पक्ष में होने के बावजूद भी ₹ 88.26 लाख के सरकारी राजस्व की गैर-वसूली।

(पैराग्राफ 2.4.2)

अध्याय III: पीओएल उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- पाईपलाईन स्थानान्तरण में इंटरफेस एसकेओ पर ₹ 3.57 करोड़ के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान।

(पैराग्राफ 3.6.2)

अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद विवरणी के संवीक्षा की पर्याप्तता

- चयनित आयुक्तालयों में प्राप्त 73,487 विवरणियों में से 57,348 विवरणियों (78 प्रतिशत) की संवीक्षा तीन महीनों में की गई 8,345 विवरणियों (11 प्रतिशत) की संवीक्षा देरी से की गई और 7,794 विवरणियों (11 प्रतिशत) की संवीक्षा अभी भी की जानी थी।

(पैराग्राफ 4.4.3)

- एसीईएस ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों को सूचीबद्ध नहीं किया। इसके अतिरिक्त, केवल 320 विवरणियों अर्थात् कुल प्राप्त विवरणियों के 0.44 प्रतिशत ही चयनित आयुक्तालयों में विस्तृत संवीक्षा के विषयगत थे।

(पैराग्राफ 4.4.6)

अध्याय V: नियमों एवं विनियमों का गैर - अनुपालन

- हमने ₹ 66.74 करोड़ राजस्व निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कम/गैर भुगतान, अनुचित सेनवेट क्रेडिट लेने और उपयोग करने के मामले देखे।

(पैराग्राफ 5.1)

अध्याय VI: आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता

- हमनें विभागीय कार्मिकों द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियाँ, कर-अपवंचन और निरोधक इकाईयों आदि की अप्रभावी कार्यप्रणाली की घटनायें देखीं। निहित शुल्क/कर ₹ 15.47 करोड़ था।

(पैराग्राफ 6.2)